संख्या– 1589 /2021–सीएक्स–3

प्रेशक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 07 सितम्बर, 2021**

विषय– कोविड–19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियॉ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021, आदेश संख्या–1193/2021–सीएक्स–3, दिनांक 11.07.2021, आदेश संख्या–1416/2021–सीएक्स–3, दिनांक 11.08.2021 तथा आदेश संख्या–1483/2021–सीएक्स–3, दिनांक 20.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समय–समय पर प्रदेश के समस्त जनपदों में उसमें उल्लिखित शर्तो के अधीन सोमवार से रविवार तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक गतिविधियॉ अनुमन्य की गयी हैं।

2. इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.06.2021, 11.07.2021, 11.08.2021 तथा 20.08.2021 द्वारा कतिपय गतिविधियॉ अनुमन्य किए जाने के समय में परिवर्तन करते हुए तत्काल प्रभाव से अब सोमवार से रविवार तक अर्थात् प्रत्येक दिवस प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियॉ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लागू रहेगा। प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत् लागू रहेगी।

3. उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।